कार्यालय नगर पालिक निगम, (बाजार/नजूल) रायपुर (छ.ग.)
फोन.न.:- 2535780, 90, फैक्स :- 0771-2227395
Website - www.nagarnigamraipur.nic.in

क्र. ..../बा.वि./न.पा.नि./2016 रायपुर, दिनांक ..../07/2016

//संशोधन निविदा आमंत्रण सूचना //

दैनिक समाचार पत्र नवभारत में प्रकाशित दिनांक **25.06.2016 को** मल्टी लेबल पार्किग को ठेके पर दिये जाने हेतु निविदा आमंत्रित किया गया है। जिसमें निविदा आमंत्रण स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किया जावेगा जिसमें आफसेट दर छूट गया है। तथा आफसेट दर 15 लाख प्रतिवर्ष लिखा जाना था जिसे भुलवश 15 लाख हो गया है जिसे 15 लाख प्रतिवर्ष पढ़ा जावे।

पार्किग :—

क्र.	कार्य का नाम	आफसेट राशि (लाख में)	अमानती राशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र	श्रेणी	कार्यवधि
1	**2**	**3**	**4**			**5**
1	मल्टीलेबल पार्किग का संचालन एवं रख–रखाव कार्य	15.00 प्रतिवर्ष	3.00	5000/-	फर्म/एजेंसी	02 वर्ष

नियम शर्ते :—

1. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
2. अमानती राशि राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी एफ.डी.आर. अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर के नाम से स्वीकार होगी।
3. निविदा संबंधी शर्ते एवं अन्य जानकारी रायपुर नगर निगम की वेबसाईड **WWW. nagarnigamraipur.nic.in** से प्राप्त की जा सकती है।
4. किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार आयुक्त नगर निगम, रायपुर को होगा।

उपायुक्त (बाजार)
नगर पालिक निगम, रायपुर

मल्टी लेबल पार्किंग आवश्यक नियम, नियम एवं शर्ते

1. पार्किंग भवन में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा नहीं कराया जा सकेगा। भवन तथा भूमि का पार्किंग छोड़ अन्य उपयोग नहीं किया जा सकता। उपरोक्त की स्थिति में ठेकेदार की निविदा निरस्त की जावेगी तथा सुरक्षा राशि राजसात कर ली जावेगी।
2. पार्किंग स्थल में चार जगहों पर साईन बोर्ड ठेकेदार को लगाना होगा, जिसमें पार्किंग हेतु शुल्क, नगर निगम का लोगों, पार्किंग का नक्शा अनुबंध की वैद्यता, ठेकेदार का नाम, आवश्यक दूरभाष क्रमांक लिखा होना अनिवार्य है।
3. ठेकेदार किसी अन्य एजेंसी अथवा ठेकेदार को कार्य शिकमी पे नहीं दे सकता।
4. ठेकेदार द्वारा लगाये गये कर्मचारियों की जानकारी निगम को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा (कर्मचारियों के आई.डी. कार्ड तथा निवासी प्रमाण पत्र) तथा ठेकेदार छत्तीसगढ़ श्रम अधिनियम का पूर्ण रूप से पालन करेगा।
5. समयावधि समाप्त होने के पश्चात् ठेकेदार भवन को खाली कर देगा तत्पश्चात् किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
6. रायपुर नगर निगम के महापौर, पार्षद, अधिकारी, कर्मचारियों को निःशुल्क पार्किंग उपलब्ध करायी जावेगी।
7. पार्किंग हेतु सुविधा प्रदान करने ठेकेदार द्वारा लगाये गए संयंत्रों तथा अन्य संसाधनों के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा तथा समयावधि समाप्ति के पश्चात् यह नगर पालिक निगम रायपुर की संपत्ति होगी।
8. ठेकेदार द्वारा भवन को यथास्थिति में समयावधि समाप्त होने के पश्चात् सौंपना होगा। किसी भी प्रकार के टूट–फूट अथवा क्षति का भुगतान ठेकेदार द्वारा देय होगा।
9. ठेकेदार द्वारा स्वचलित बैरियर तथा गार्ड रूम प्रवेश तथा निकासी द्वार पर लगाया जाना होगा।
10. पार्किंग स्थल पर सी.सी. टी.वी. कैमरा 01 माह के भीतर ठेकेदार द्वारा लगाया जाना होगा जो कि पार्किंग स्थल को पूर्ण रूप से निगरानी में रख सके।
11. बिजली के देयकों का भुगतान ठेकेदार द्वारा वहन किया जावेगा।
12. किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना, चोरी, टूट–फूट की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से ठेकेदार की होगी तथा इस प्रायोजना में मांगी गई दावा राशि ठेकेदार को देय होगी।

13. ठेकेदार द्वारा रखे गए कर्मचारियों को पार्किंग उपयोग करने वाले शहर के नागरिकों से भद्र व्यवहार नहीं करना होगा तथा कर्मचारियों को यूनिफार्म पहनना अनिवार्य होगा।

14. सर्विस टैक्स तथा अन्य सभी करों का भुगतान ठेकेदार द्वारा वहन किया जावेगा।

15. निविदा में भाग लेने हेतु न्यूनतम टन वार्षिक ओव्हर राशि रू. 25 लाख पिछले तीन वित्तीय वर्षो का होना अनिवार्य है।

16. ठेकेदार द्वारा अनुबंध दिये जाने के 01 सप्ताह के अंदर 50 प्रतिशत अनुबंध की राशि जमा करनी होगी तथा शेष बची हुई 50 प्रतिशत राशि अनुबंध दिनांक से छः माह के भीतर जमा करनी होगी।

17. उपरोक्त दिये गये नियम एवं शर्तो का पालन न करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी। तथा ठेकेदार द्वारा जमा अमानती राशि तथा अन्य शेष राशि राजसात कर ली जावेगी।

18. किसी भी प्रकार के विवाद पर आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर का निर्णय अंतिम होगा। वाद बढ़ने की स्थिति में प्रकरण रायपुर कोर्ट के अधीन होगा।

उपायुक्त (बाजार)
नगर पालिक निगम, रायपुर